मैसर्स हवेली मार्बल प्रा. लि. क्वार्ट्ज, फेल्डसपार एवं मेसेनरी स्टोन माईन्स, पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 26.06.2025 प्रातः 11.00 AM बजे, अटल सेवा केन्द्र सुलावास, तहसील–गिर्वा (कुराबड़), जिला–उदयपुर

यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 23.05.2025 एवं स्थानीय समाचार पत्र राष्ट्रदूत में दिनांक 23.05.2025 को प्रकाशित करवा दी गई है।

यह जनसुनवाई **"मैसर्स हवेली मार्बल प्रा. लि."** द्वारा प्रस्तावित **क्वार्ट्ज, फेल्डसपार एवं मेसेनरी स्टोन** खनन परियोजना (**एम एल नं. 24/2023** (लीज क्षेत्र 1.0527 हैक्टेयर) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टो को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 10.001 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 8,01,335 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्ट्ज, फेल्डसपार एवं मेसेनरी स्टोन उत्पादन क्षमता 1,00,000 TPA, निकट ग्राम–मायदा तहसील–गिर्वा (कुराबड़), जिला–उदयपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 01 करोड़ है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुने तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आप अपना नाम तथा गांव का नाम बताए साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत तैयार किए जायेंगे जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 14.09.2024 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के खान मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ठ "अ" में सलंग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ए रिपोर्ट, कार्यकारी सारांश की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक ''ब''के अनुसार है।

कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री कुंज बिहारी पालीवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार हैः—

श्री सुपलाल ढाणी, वार्ड पंच, वार्ड नं. 4, निवासी ग्राम रावलपुरा, ग्राम पंचायत सुलावास :—

मैं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से ये जो पोस्टर लगा है पुरी इस मिटिंग में समझ नही पाया हूँ। आपसे यह कह रहा हूँ पोस्टर के हिसाब से दो पोईन्ट में यह कहना चाहता हूं कि हमारी ग्राम पंचायत सुलावास में एक तो ग्राम करमाल और एक हमारे पडोस में आ रहा है इसमें जो जो खाने आवंटित हुई है कितनी जमीन पर हुई है उनकी क्या सीमा है कितने मोड़े (Piller) लगे है, क्या जाली लगी हुई है, उनका मलबा किधर डल रहा है और हम बीमार हो जाते है बहन बेटियाँ बीमार हो जारी है और हॉस्पीटल जिला मुख्यालय 70 किमी दूर है। तो यहा के किसान गरीब आदमी उस मरीज को ले जाने में पहले तो यहा जो आज की उपस्थिति में हमारे इसमें मेन मुख्य अधिकारी कार्यरत को पहले तो हमारा यहां का रोड़ देखें 30—20 किलोमीटर दायरे में पहले जाके। गाड़ी तो उनके पास सरकारी की गाड़ी होगी। सरकार का ड्राइवर हैं। हमारा पहला मुख्य मुद्दा है हमारा रास्ता देख लो। हमारा मरीज उस जिला मुख्यालय हॉस्पीटल तक कैसे पहुंचाए मेन बिन्दु समस्या दुसरी तरफ है हमारे यहां जयसमंद झील के उपर के केंचमेन्ट एरियें हमारा सुप्रीम कोर्ट तक भी हमारी फाइले है। नदी में छोटे—छोटे एनीकट भी मांगे करते उपर के एरिये भी सरकार हमें नही दे रही हैं पानी जा रहा है। लेकिन यह पानी उदयपुर जा रहा है। तो पानी नही रोका जाएगा। सरकार जो परमिशन दे रही है। हमारा जलस्तर सुख जाएगा। तो हम किसान कैसे जिएंगे, हमारे मवेशी को कैसे जिंदा रखेगे। तो इसको हमारे गरीब को कौन मालिक है। सरकार एरियें में मौका देखे जो खनन चल रही है। उसको जमीन कितनी अलोट की गई है। मौका देखे आपके पास रिपोर्ट है। तहसीलदार जी है, पटवारी उसमें जा के देखें और मौके की स्थिति देखे यह मैं भी कह रहा हूँ। क्या पता अगला सही है गलत है आप तो बैठे तो ए.सी. में हो। गरीब के साथ क्या होगा। हमारे पास शिकायत करने का पैसा है न तो गाड़ी है हम बोल नही सकेंगें और किसानों का हमारा पहाड़ी इलाका है। सरकार तो नियम से अलोट कर देते हैं बैठे—बैठे वहां पर जाके देखो स्थिति क्या हैं हमारी जो खाने अलोट हुई है। पूरा रोड़ देखा उसमें 3—3 फीट के खड्डे पड़ गए है। मोटर साइकिल तो नही बिमार को क्या चार पहिया ताके कर ले जाए क्या। इतने में तो वो रास्ते में चला ही जाएगा। कौन मालिक है हमारे किसानो का यहां तो हमारे 50

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

बीघा 100 बीघा किसानों का है नही आधा बीघा हमारे मवेशी के इस खेती के भरोसे गुजारा चला रहे हैं अभी हम किसान परेशान हो गए। हम एक 100 रू. की बनियान पहने के लिए बाजार में जाते खरीद कर लाते हमारी खेती होती ह। नील गाय आइ गई सुअर आते तो हम क्या बोए खेती में और अभी भी मुख्य धारा फसल है किसानों के फसल बोने की फसल से भी हम पीड़ित हो गए। अब हम कहां जाएंगे। पहले तो आप यह देख लीजिए रावतपुरा से धाकड़िया तक सविना मंडी से कुराबड़ का रास्ता देख लीजिए। इनका फिर हमने एम.पी. को एम.एल.ए. को सब बता दिया तो जनहित की समस्या के बारे में अगर मैने गलत बताया हो तो यह पब्लिक बैठी सामने और आप देख लीजिए अभी जो चल रही है खाने उसको मौके पर जाना पड़ेगा। उसका मलबा कहा पड़ा वो खनन कैसे कर रहे है। थोड़ा सा समझ जाओ अनपढ़ आदमी हूँ। वो आप मौके पर देख लो आपको स्थिति बता देगी। मैं मेरे यह दो शब्द के साथ विराम कर रहा हूँ।

श्री गोकुल रेबारी, ग्राम पंचायत सुलावास :–

जो भी हमारे को ये खनन के संबंध में मापदंड़ बता रहे है कि पानी का छिड़काव किया जाता है पेड़ लगाये जायेंगे उसके लिए ये बता रहा हूँ कि पूर्व में जो खान आवंटित है वहा पर आज दिन तक एक भी पेड़ नही लगाया गया है, उनके खनन के कारण ओवरलोड़ वाहन चलते है जिससे सड़क खराब हो रही है कोई बीमार हो जाऐ तो हम उसको उस रास्ते से नही ले जा सकते, पूरे इलाके में अवैध खनन हो रहा है। बिलानाम में हो रहा है गैर खातेदारी में खातेदारी में वन भूमि में भी हो रहा है जिसकी शिकायत हम दो बाद कलक्टर को कर चुके है जांच भी होती है पर वो कागजों में ही रह जाती है। आज ठीक है ये आपको अनुमति लेनी है तो आपने ग्रामीणों को इकट्ठा कर लिया है। पंचायत वालों को अनुमति ले लेंगे फिर अगर ग्रामीणों को कोई समस्या होगी तो उस समय कोई सुनेगा नही वो धक्के खाते रहेंगे। हमारी ये मांग है कि आप पट्टे की कानूनी कार्यवाही नियम कानून के हिसाब से करो इसके मानदंड़ पूरे करते हुए करिये जो पूर्व में संचालित है, इन्होने कोई भी मानदंड़ पूरा नही किया है उनको कानून का पालन करने को होना चाहिए। जिसकी शिकायत कलक्टर महोदय, सम्भागीय आयुक्त महोदय को दे चुके है। खाली कागजों में चलती ये सब। धन्यवाद

श्री कुंज बिहारी पालीवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, रा.प्र.नि.म., उदयपुर :–

आपकी जो शिकायते है, या आपके जो सुझाव है उनको हम आगे भिजवायेंगे, पर्यावरणीय स्वीकृति देना या नही देना हमारे हाथ में नही है हम कोई यहा डिसिजन नही ले रहे हम केवल आपकी बात को आगे सरकार तक पहुंचाएगे और कोई कुछ कहना चाहेंगे।

श्री सुपलाल ढाणी, वार्ड पंच, वार्ड नं. 4, निवासी ग्राम रावलपुरा, ग्राम पंचायत सुलावास :–

हम ये बताना चाहते है कि खान वाले जो है हमारे यहा ST का सरपंच है वो भी महिला है। राजस्थान सरकार ने अशोक गहलोत की सरकार ने यह कह दिया सरपंच का चुन लेना। उनके आदेश

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

के आने के बाद हमारी महिला सरपंच है। उसका जो घर का मुखिया है। अभी क्या मोबाईल का सिस्टम हो गया। तो खान वाले क्या ग्रामवासी से क्या चाहते है। सील लगा दो सरपंच साहब सील लगा देते है तो उसको भी दबाया जाता है और महिला को धमकाया है। हमारे गावं के 4–5 लोगों ने उसमें बीच बचाव किया। उसके घर पर पहुंचे महिला के। अगर हमारे किसी कार्यकर्ता का खून कत्ल हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन है और उसको धमकी दी है कि तुझे सरपंच किसने बनाया।

श्री दीपेन्द्र सिंह राठौड़, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), उदयपुर :–

आप जो बात कर रहे है वो शिकायत उसके सन्दर्भ में करी थी। कि आपने जो शिकायत करी खनन अधिकारी जांच करने आया हो ये घटना हुई। ठीक है आप। तो सरपंच साहब आप जो ऐसा कुछ हुआ है लिखकर दे दिजिए। हम कार्यवाही करेंगें। हम पुलिस को देंगे।

श्री उदय सिंह सारंग देवोत ग्रामीण निवासी–सुलावास :–

मैं आपसे और सभी ग्रामवासियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रदूषण मण्ड़ल द्वारा जनसुनवाई खनन के बारे में जो भ्रांतिया है मैं इस लाईन में पिछले 40 साल से खनन में हूँ मैं उसकी बारिकी इसका क्या फायदा है आपके यहाँ जो खान चालू होगी उसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा फायदा खनन के किसी भी उद्योग के लगने से जो डॉयरेक्ट और इन डॉयरेक्ट बेनिफिट होते है उसको भूल जाये पर जो डायरेक्ट बेनिफिट है सरकार ने एक नियम बना रखा है कि रॉयल्टी का जो पैसा होता है उसका 10 प्रतिशत है उसका एक फण्ड बनाया है DMFT उसकी एक समिति होती है जिला कलेटर उसके चेयरमेन होते है और वो 10 प्रतिशत पैसा के लिए भी एक नियम आया कि जितना भी पैसा 10 प्रतिशत में आयेगा वो आपकी पंचायत पर खर्च होगा मानो अभी रॉयल्टी अगर 140 रूपये है तो 15 रूपये पर टन जितनी मिनरल निकलेगा जो माइन्स चल रही है और जो नयी बनेगी उसका भी आपकी पंचायत में खर्च होगा तो काम चालू होगा तो क्षेत्रीय विकास के लिए होगा उसके लिए कमेटी जो खर्च करेगी वो MLA और MP के रिकमेन्डेशन से होगा। तो काम चालू होगा पैसा विकास में आयेगा। इललीगल माइनिंग हो सकती है आपकी बात भी सही है जो कर रहे है वो भी गलत है दूसरा ये तो हुआ लीगल पर जहां जहां जो लोग काम कर रहे है उनका उस क्षेत्र से जुड़ाव होता है और कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे की हमारे शीशवी में काम हो रहा है। उस पैसे के अलावा स्कूल से अगर कोई आये की हमको फर्नीचर चाहिए कम्प्यूटर चाहिऐ थे चीजें जो है जैसा पहले उमराव जी ने बताया कि कोई बीमार होता है तो आवागमन की व्यवस्था नही है उनको ईलाज के लिए समय से ले जाने की व्यवस्था नही है उनको ईलाज के लिए समय से ले जाने की व्यवस्था नही है ये जो लोग काम कर रहे है आप उनसे सम्पर्क करे हम इसको प्रायोरिटी देगे और मैं ये निवेदन करता है इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हम यहा काम करेंगे तो हम इसको पहले प्रायोरिटी से काम करेंगे की किसी को भी हारी बिमारी हो तो समय पर चिकित्सा उपलब्ध हो PHC में

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

फर्नीचर चाहिए या जो भी जरूरत हो वो हमारे नार्म्स में है सरकार के नार्म्स में है की उसको प्रायोरिटी दी जाये जिसने नही किया मैं उसके लिए नही कह सकता।

श्री कुंज बिहारी पालीवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो रिकॉर्डिंग सी.डी (**परिशिष्ठ "स"** में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ (**परिशिष्ठ "द"** में सलंग्न) के साथ उन्हे राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद श्री कुंज बिहारी पालीवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी महोदय ने श्री दीपेन्द्र सिंह राठौड़, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(कुंज बिहारी पालीवाल)
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी,
राप्रनिम, जिला–उदयपुर

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

(दीपेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन),
जिला–उदयपुर

मैसर्स हवेली मार्बल प्रा. लि., क्वार्ट्ज, फेल्डसपार एवं मेसेनरी स्टोन (एम एल नं. 24 / 2023, क्षैत्रफल–1.0527 हैक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 8,01,335 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्ट्ज, फेल्डसपार एवं मेसेनरी स्टोन उत्पादन क्षमता 1,00,000 TPA, निकट ग्राम– मायदा, तहसील–गिर्वा (कुराबड़), जिला–उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 26.06.2025 को प्रातः 11.00 AM बजे, अटल सेवा केन्द्र सुलावास, तहसील–गिर्वा (कुराबड़), जिला–उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगणः–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता / विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	Dipendra Singh	ADM Adm.	[signature]
2	कृष्ण बिहारी पालीवाल	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी रा.प्र.नि.मं.	[signature]
3	मेरीबाई	सुलावास	मेरी
4			
5	C.P. Jeengar	RSPCB Udaipur	[signature]
6	जोधसिंह मायदा	मायदा	[signature]
7	हीरा	सुलावास	[thumb impression]
8	सोहनसिंह	सुलावास	[signature]
9	भेरुलाल डांगी	सुलावास	[signature]
10	हरजी राम	सुलावास	हरजीराम
11	नानाराम	सुलावास	नंदी
12	रकमाराम	सुलावास	[signature]
13	बाकरी	सुलावास	[signature]
14	ननीबाई	सुलावास	नंनी
15	Ravindra Singh	सुलावास	[signature]
16	सवाराम	सुलावास	[signature]
17	मालसिंह	आमरावरा	[signature]
18	हेमन्द सिंह	चोहानों का उदा	हेमेन्द्र सिंह
19	भंवर सिंह चौहान	आलावदा	भंवरसिंह
20	राजेन्द्र सिंह चुण्डावत	मायदा	[signature]
21	डॉ. जितेन्द्र सिंह चुण्डावत	मायदा	[signature]

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता / विभाग का नाम	हस्ताक्षर
22	उदय सिंह सारंगदेवोत	शिक्षा,	[illegible]
23	समरथ लाल मीणा	पंचायतीराज	Samrath
24	रूपलाल	रावतपुरा	रूपलाल
25	जसवन्त सिंह चुंडावत	मायरा	[illegible]
26	भाविन चौबीसा	कृषि विभाग	Bhav
27	सौरभ ननोमा	पशुपालन विभाग	सौरभ
28	देवीलाल	खुलावाड़	देवीलाल
29	Sushil Kr vyas	R.K. Consultants	Sey
30	Nisha	R K Consultant	nisha
31	Mukesh Gukotia	Udaipur	[illegible]
32	महेन्द्रपालसिंह	उपसरपंच प्रतिनिधि	महे[illegible]
33	Sushil Kr vyas	R K consultant	Sy
34	बाबरू / प्रेमजी	आम्बावालाड़	बाबरू

तहसील-मावली जिला-उदयपुर (राज.)	राजस्व ग्राम -फतहनगर, पटवार हल्का -फतहनगर	279,280 कुल किता 02	रकबा 0.5099 हैक्टेयर यानी 54865.24 वर्गफीट यानी 6096.13 वर्गगज यानी 5099 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .... को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी ,नगर पालिका फतहनगर, सनवाड़

क्षेत्रीय कार्यालय **राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल** LiFE

(एफ 470 यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी) उदयपुर (राज.)

E-Mail ID: rorpcbudaipur@gmail.com, फोन-2491269

RPCB/RO U/UDR/320/Rajkaj Ref. no. 15449776 दि.:21/5/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स हवेली मार्बल प्रा. लि. ,M.L. न. 23/2023 (क्षेत्रफल 4.0598 हैक्टेर) "क्वार्ट्ज, फैल्डसपार व मैसेनरी स्टोन ग्राम मायदा, तहसील-गिर्वा (कुराबड), जिला- उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्ट्ज, फैल्डसपार व मैसेनरी स्टोन (M.L. न. 23/2023) (क्षेत्रफल 4.0598 हैक्टेर) उत्पादन परियोजना क्षमता 2,85,714 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणी स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है। 2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं. एस.ओ. 1533 दि.14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध हैं (1) कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4 संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर (3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर। (4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5 वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ (उ.प्र) (5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर (6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील-गिर्वा (कुराबड) जिला उदयपुर (7) सरपंच ग्राम मायदा, तहसील-गिर्वा (कुराबड), जिला- उदयपुर (8) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। (9) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रन मण्डल, एफ 470 यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी) उदयपुर अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दि. 26.06.2025 (गुरुवार) को प्रातः 1 बजे अटल सेवा केन्द्र सुलावास, त. गिर्वा (कुराबड), जिला उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझावद प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते है। **क्षेत्रीय अधिकारी रा.रा.प्र.नि.म., उदयपुर**

क्षेत्रीय कार्यालय **राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल** LiFE

(एफ 470 यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी) उदयपुर (राज.)

E-Mail ID: rorpcbudaipur@gmail.com, फोन-2491269

RPCB/RO U/UDR/316/Rajkaj Ref. no. 15449730 दि.:21/5/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स हवेली मार्बल प्रा. लि. ,M.L. न. 24/2023 (क्षेत्रफल 1.0527 हैक्टेर) "क्वार्ट्ज, फैल्डसपार व मैसेनरी स्टोन ग्राम मायदा, तहसील-गिर्वा (कुराबड), जिला- उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्ट्ज, फैल्डसपार व मैसेनरी स्टोन (M.L. न. 24/2023) (क्षेत्रफल 1.0527 हैक्टेर) उत्पादन परियोजना क्षमता 1,00,000 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणी स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है। 2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं. एस.ओ. 1533 दि.14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध हैं (1) कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4 संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर (3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर। (4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5 वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ (उ.प्र) (5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर (6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील-गिर्वा (कुराबड) जिला उदयपुर (7) सरपंच ग्राम मोयदा, तहसील-गिर्वा (कुराबड), जिला- उदयपुर (8) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। (9) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ 470 यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी) उदयपुर अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दि. 26.06.2025 (गुरुवार) को प्रातः 11 बजे अटल सेवा केन्द्र सुलावास, त. गिर्वा (कुराबड), जिला उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझावद प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते है। **क्षेत्रीय अधिकारी रा.रा.प्र.नि.म., उदयपुर**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

झाड़ोल शाखा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर, राजस्थान 313 702 फोन: 02959-220074, ई-मेल: jhadol@bankofbaroda.com

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

"परिशिष्ट-IV-क" [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जैसी है जहां है", "जो है जैसी है" और "जितनी भी उपलब्ध है" के आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि नीचे उल्लेखित खातें की वसूली हेतु बेचा जाएगा। ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों/प्रतिभूत आस्तियों/बकायों/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की दिनांक व समय, धरोहर राशि एवं बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे वर्णित है-

क्र./लॉट नं	ऋणियों/जमानतदारों/ बंधककर्ताओं के नाम एवं पते	ज्ञात संपत्ति के साथ अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो	कुल बकाया राशि मांग पत्र के अनुसार	ई-नीलामी की दिनांक / ई-नीलामी का समय प्रारम्भ समय से समाप्ति समय	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (ईएमडी) / बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (सांकेतिक/ वास्तविक)	संपत्ति निरीक्षण की दिनांक व समय
1.	श्री मुकेश कुमार कोठारी पुत्र श्री अमृत लाल कोठारी गाँव आंड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर, राजस्थान जमानतदार-श्री कृष्ण कुमार कोठारी पुत्र श्री लक्ष्मी लाल मकान नं. 442, झाड़ोल, जिला उदयपुर, पी.ओ. झाड़ोल 313702 एवं द्वारा कृष्णा एग्रो मशीनरी एवं पाईप सेन्टर, बस स्टेण्ड के पास, झाड़ोल, जिला उदयपुर, राजस्थान श्री गजेन्द्र गोदानिया पुत्र श्री हरी लाल गोदानिया गाँव आंड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर, राजस्थान एवं द्वारा यश एन्टरप्राईजेज, उदयपुर रोड़, झाड़ोल, जिला उदयपुर, राजस्थान 313702	श्री मुकेश कुमार कोठारी पुत्र श्री अमृत लाल कोठारी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो राजस्व गाँव ओड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1092 वर्ग फीट है। सीमाएँ- पूर्वः हीरालाल/ अम्बालाल का मकान, पश्चिमः मुकेश कोठारी का मकान/स्वयं का मकान, उत्तरः रोड़, दक्षिणः हगामी लाल/भंवर लाल का मकान अन्य ऋण भारः ज्ञात नहीं	रूपये 11,33,971.87 दिनांक 31.08.2019 को बकाया एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य वसूली खर्चे इत्यादि। **वर्तमान बकाया राशि-** रूपये 21,45,274.60 दिनांक 18.05.2025 को बकाया एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य वसूली खर्चे इत्यादि।	30.06.2025 दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक	आरक्षित मूल्य- रूपये 19,20,000/- धरोहर राशि- रूपये 1,92,000/- बोली वृद्धि राशि-रूपये 20,000/-	वास्तविक	25.06.2025 सुबह 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm एवं ऑनलाईन नीलामी पोर्टल https://baanknet.com देखें। इसके अलावा संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से दूरभाष नं.- 02959-220074, मोब्राईल नं. 8875025614 पर संपर्क कर सकते है।

दिनांकः .21.05.2025
स्थानः झाड़ोल (उदयपुर)

हस्ता.
प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा

ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम है योग : प्रो. सारंगदेवोत

उदयपुर, (कासं)। राजस्थान विद्यापीठ विवि के संघटक लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के पीजी डिप्लोमा इन योग के विद्यार्थियों की ओर से आयोजित विदाई समारोह का शुभारंभ कुलपति प्रो. शिवसिंह सारंगदेवोत, कुलाधिपति भंवर लाल गुर्जर, पीठ स्थविर डॉ. कौशल नागदा, प्राचार्य प्रो. सरोज गर्ग ने किया।

समारोह में योग विद्यार्थियों ने योग की विभिन्न मुद्राओं को प्रस्तुत कर सभी को रोमांचित कर दिया। अतिथियों द्वारा सभी विद्यार्थियों का उपरणा एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रो. सारंगदेवोत ने कहा कि योग ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम माना गया है। प्राचीनकाल से ही भारत में योग की परम्परा रही है, पूरे विश्व में योग भारत की ही देन है। इस अवसर पर डॉ. रचना राठौड़, डॉ. सुनिता मुर्डिया, डॉ. बलिदान जैन, डॉ. ममता कुमावत, सवाराम डांगी, डॉ. सुभाष पुरोहित सहित महाविद्यालय के अकादमिक, गैर अकादमिक कार्यकर्ता एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। संचालन भानुप्रिया आमेटा आभार योग समन्वयक डॉ. रोहित कुमावत ने जताया।

विद्युत चोरी के 62 प्रकरण दर्ज, 15 लाख जुर्माना

उदयपुर, (कासं)। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड उदयपुर की सतर्कता टीमों ने अधीक्षण अभियंता के.आर. मीना के निर्देशन में दीवान शाह कॉलोनी, खाँजी पीर क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए विद्युत चोरी के 62 प्रकरण दर्ज किए गए जिसमें लगभग 15 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया। मौके पर सतर्कता टीम द्वारा अवैध केबलों को उतारा गया।

अधीक्षण अभियन्ता मीना ने बताया कि निगम की तरफ से कच्ची बस्तियों एवं कमजोर आय वर्ग हेतु सरकार ने पहले से ही रियायती दरों पर विद्युत कनेक्शन देने की व्यवस्था की हुई है। इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्र में पूर्व में भी अनेक बार शिविर लगाकर कनेक्शन दिए गए हैं व समय-समय पर निवासियों को समझाइश कर कनेक्शन लेने हेतु प्रेरित किया जाता रहा है, इसके बावजूद दीवान शाह कॉलोनी, खांजी पीर क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध कनेक्शन लेकर विद्युत चोरी की शिकायतें मिल रही थी। इस पर सतर्कता टीम द्वारा दलबल के साथ पुलिस प्रशासन व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से कार्यवाही की गई। अधीक्षण अभियन्ता ने बताया कि अवैध कनेक्शनधारियों के खिलाफ तथा ऐसे उपभोक्ता जिनके मीटर हैं लेकिन कई उपकरण अवैध कनेक्शनों से चला रखे हैं।

51 खाद्य पदार्थ अमानक पाए

राजसमंद, (निसं)। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जिले में 1 अप्रेल 2024 से दिसम्बर 2024 तक कुल 173 खाद्य पदार्थों के नमुने लिए गए। प्रयोगशाला में जांच के बाद 51 खाद्य पदार्थ अमानक पाए गए। सीएमएचओ डॉ हेमन्त कुमार बिन्दल ने बताया कि तुलसी रेस्टोरन्ट देवगढ, हरिओम भोजनालय लापस्या, भाग्यलक्ष्मी डेयरी एण्ड किराणा चारभुजा एवं श्री शिव डेयरी फार्म सीयाणा से लिए गए दही के नमुने अमानक पाए गए। वहीं शिव सर्वोदय होटल एण्ड फेमिली रेस्टोरेन्ट फियावडी, मामा होटल गुंजोल, मां भवानी दूध डेयरी भीम, गोवर्धन रेस्टोरेन्ट कुम्भलगढ, न्यू शिव शक्ति डेयरी धोलीदांती से लिए पनीर के नमुने अमानक पाए गए।

गए कपड़े, चिप्स व अन्य सामग्री उड़ गई, जिससे व्यापारियों को नुकसान पहुंचा।

करीब 20 मिनट तक हुई। तेज आंधी से आशीर्वाद गार्डन रोड और बैंक ऑफ बड़ौदा के पास पेड़ गिर गए।

तापमान 43.2 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन हीटवेव और उष्णरात्रि की संभावना जताई है।

चलती रही। उपखण्ड मुख्यालय पर रात 8.30 बजे से रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा।

जल जीवन मिशन के काम तय समय में पूरे करें : कलेक्टर मीना

भास्कर न्यूज | सलूंबर

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की मासिक बैठक गुरुवार को जिला कलेक्टर अवधेश मीना की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष में हुई। कलेक्टर मीना ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष के लक्ष्य जल्द पूरे करें। चल रहे कार्यों को तय समय में पूरा करें।

कलेक्टर ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेजयल योजनाओं की सतत निगरानी करने और समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। अधीक्षण अभियंता ने विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत और प्रगतिरत योजनाओं की समीक्षा हुई। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों और गांवों में टेप नल कनेक्शन देने की स्थिति पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने हर घर जल प्रमाणीकरण, शेष एफएचटीसी जल्द पूरा करने, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल कनेक्शन देने, जल जीवन मिशन के तहत बनी टंकियों से जल आपूर्ति शुरू करने और कार्यों के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए।

बैठक में एडीएम राजलक्ष्मी गहलोत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सभी इंजीनियर, एवीवीएनएल के अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत सलूंबर के अधीक्षण अभियंता, सृष्टि सेवा समिति, आईएसए, टीपीआई सहित सभी विभागों के अधिकारी और प्रमुख संवेदक मौजूद रहे।

आम सूचना

यह कि मेरे व्यवहारी Piramal Capital & Housing Finance Ltd. उदयपुर से श्रीमती पिंकी कुंवर पत्नी श्री भेरूसिंह अपने स्वामित्व के आवासीय संपरिवर्तित भूमि वाके ग्राम टांक, ग्राम पंचायत माल की दूस, तहसील-वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.) के खसरा संख्या 429/23 (हाल आराजी संख्या 1914 / 1025, 1915 / 1026) की योजना में स्थित होकर कुलिया क्षेत्रफल 864 वर्गमीटर को बंधक रख ऋण सुविधा प्राप्त करना चाहते है । उक्त सम्पत्ति वर्तमान में डी.एम.आई. हाउसिंग फाइनेंस प्रा.लि. में रहन रखी हुई है। उक्त सम्पत्ति बाबत् आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 1021 दिनांक 02.11.2020 को श्री भेरूसिंह चौहान पिता श्री भोपालसिंह चौहान के पक्ष में 864 वर्गमीटर का आवासीय प्रयोजनार्थ जारी किया गया था। तत्पश्चात् श्री भेरूसिंह चौहान पिता श्री भोपालसिंह चौहान ने उक्त आवासीय संपरिवर्तित भूमि क्षेत्रफल 864 वर्गमीटर को अपनी पत्नी श्रीमती पिंकी कुंवर को दान स्वरूप प्रदान कर दान पत्र का पंजीयन दिनांक 07.05.2025 को करवाया। उक्त सम्पत्ति से संबंधित पूर्व में जारी संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 1021 दिनांकित 02.11.2020 कहीं गुम हो गया है। जिसकी ऑनलाईन एफ. आई. आर. एल. आर. नम्बर 2772572/2025 दिनांक 21.05.2025 को दर्ज करवा रखी है। उक्त सम्पत्ति के खोये हुए संपरिवर्तन आदेश के संबंध में अथवा उक्त सम्पत्ति को बंधक रखने के संबंध में अथवा श्रीमती पिंकी कुंवर के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार को आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर मय दस्तावेज मे मुझसे सम्पर्क करे अन्यथा वाद गुजरने मयाद किसी भी शक्स की आपत्ति आयी तो वह मेरे व्यवहारी के मुकाबले बेजां बेअसर व शुन्य समझी जावेगी। यदि उक्त खोये हुए उपरोक्त असल संपरिवर्तन आदेश का किसी शक्स के द्वारा दुरूपयोग किया जाता है तो होने वाले हर्जे खर्चे के प्रति वह शक्स स्वंय जिम्मेदार रहेगे।

दिनांक-22/05/2025 वास्ते- मनीष जोशी एण्ड एसोसिएटस
मो. न. 9414250713 मनीष जोशी (एडवोकेट)
रिंकु जोशी (एडवोकेट) जी-6, मयुरा अपार्टमेंट 218- ए. सरदारपुरा, उदयपुर (राज.)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी व्यवहारिया श्रीमती रेणु कुमावत पत्नी श्री योगेश कुमावत, निवासी–21, भुवाणा, नवरतन कॉम्पलेक्स के पास, उदयपुर (राज.) ने श्रीमती रिंकु कुंवर पत्नी श्री चन्द्रभान सिंह झाला, निवासी रूपनगर, नये आरटीओ के पास, काली मगरी, भुवाणा, उदयपुर (राज.) से उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक मकान जो कि राजस्व ग्राम रूपनगर (भुवाणा) के खसरा संख्या 4202 में स्थित होकर, पुराने प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या–3, कुल क्षेत्रफल 1025 वर्गफीट होकर ग्राउण्ड + द्वितीय फ्लोर निर्मित है जिसके पड़ौस पूर्व में भूखण्ड संख्या–2, पश्चिम में भूखण्ड संख्या–4, उत्तर में आम रास्ता 20 फीट सड़क व दक्षिण में होटल झंकार स्थित है, को क्रय करने हेतु विक्रय इकरार निष्पादित किया है तथा विक्रय पत्र पंजीकृत करने की कार्यवाही विचाराधीन है। इसलिये इस आम सूचना के जरिये सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था को उक्त मकान के हस्तान्तण, अन्तरण संबंध में किसी प्रकार की कोई उजर आपत्ति हो तो 07 दिवस के भीतर मुझ अधिवक्ता को दस्तावेजो के साथ सूचित करे।

स्थान: उदयपुर कमलेश दाणी (एडवाकेट)
दिनांक: 22.05.2025 चेम्बर नं. 25, कोर्ट परिसर, उदयपुर (राज.) मो.न. 9828056023

पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

(पंजीकृत कार्यालय पीएसईबी मुख्यालय, द मॉल पटियाला)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): U40109PB2010SGC033813
वेबसाइट: www.pspcl.in (संपर्क संख्या 9646118754)

निविदा पूछताछ संख्या 334/एच पीएस/ईडी-I/एस-423/वॉल-II दिनांक: 21.05.2025

उप मुख्य अभियंता/जल विद्युत परियोजनाएं, पीएसपीसीएल, शेड ए-3, शक्ति विहार, पीएसपीसीएल, पटियाला 1x50 मेगावॉट यूनिट के लिए संबंधित उपकरणों के साथ 1 अदद सफेरीकल वाल्व (मुख्य इनलेट वाल्व) और साथ ही शानन पावर हाउस, PSPCL, जोगिंदर नगर, जिला मंडी (हिप्र) के लिए मौजूदा/पुराने सफेरीकल वाल्व (मुख्य इनलेट वाल्व) और उसके संबंधित उपकरणों को हटाने के कार्य की डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए ई-निविदा आमंत्रित करता है।

विस्तृत निआसू एवं निविदा विनिर्देश हेतु कृपया 26.05.2025 (11:00 बजे) से https://eproc.punjab.gov.in देखें।

नोट: शुद्धिपत्र एवं परिशिष्ट, यदि कोई हो, तो https://eproc.punjab.gov.in पर ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा।

C366/25

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

LiFE

(एफ 470 यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड औद्योगिक श्रैत्र, मादडी) उदयपुर (राज.)
E-Mail ID: rorpcbudaipur@gmail.com, फोन–2491269
RPCB/RO U/UDR/320/Rajkaj Ref. no. 15449776 दि.:21/5/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स हवेली मार्बल प्रा. लि. ,M.L. न. 23/2023 (क्षेत्रफल 4.0598 हैक्टेर) "क्वार्ट्ज, फैल्डसपार व मेसेनरी स्टोन ग्राम मायदा, तहसील–गिर्वा (कुराबड), जिला- उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्ट्ज, फैल्डसपार व मेसेनरी स्टोन (M.L. न. 23/2023) (क्षेत्रफल 4.0598 हैक्टेर) उत्पादन परियोजना क्षमता 2,85,714 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणी स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है। 2. और चूकिं मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं. एस.ओ. 1533 दि.14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध हैं (1) कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4 संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर (3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए–216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर। (4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5 वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ (उ.प्र) (5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर (6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील–गिर्वा (कुराबड) जिला उदयपुर (7) सरपंच ग्राम मायदा, तहसील–गिर्वा (कुराबड), जिला- उदयपुर (8) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। (9) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ 470 यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड औद्योगिक श्रैत्र, मादडी) उदयपुर अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई **दि. 26.06.2025 (गुरुवार) को प्रातः 1 बजे अटल सेवा केन्द्र सुलावास, त. गिर्वा (कुराबड), जिला उदयपुर** में उपस्थित होकर अपने सुझावद प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते है। **क्षेत्रीय अधिकारी रा.रा.प्र.नि.म., उदयपुर**

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

LiFE

(एफ 470 यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड औद्योगिक श्रैत्र, मादडी) उदयपुर (राज.)
E-Mail ID: rorpcbudaipur@gmail.com, फोन–2491269
RPCB/RO U/UDR/316/Rajkaj Ref. no. 15449730 दि.:21/5/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स हवेली मार्बल प्रा. लि. ,M.L. न. 24/2023 (क्षेत्रफल 1.0527 हैक्टेर) "क्वार्ट्ज, फैल्डसपार व मेसेनरी स्टोन ग्राम मायदा, तहसील–गिर्वा (कुराबड), जिला- उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्ट्ज, फैल्डसपार व मेसेनरी स्टोन (M.L. न. 24/2023) (क्षेत्रफल 1.0527 हैक्टेर) उत्पादन परियोजना क्षमता 1,00,000 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणी स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है। 2. और चूकिं मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं. एस.ओ. 1533 दि.14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध हैं (1) कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4 संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर (3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए–216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर। (4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5 वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ (उ.प्र) (5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर (6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील–गिर्वा (कुराबड) जिला उदयपुर (7) सरपंच ग्राम मायदा, तहसील–गिर्वा (कुराबड), जिला- उदयपुर (8) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। (9) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ 470 यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड औद्योगिक श्रैत्र, मादडी) उदयपुर अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई **दि. 26.06.2025 (गुरुवार) को प्रातः 11 बजे अटल सेवा केन्द्र सुलावास, त. गिर्वा (कुराबड), जिला उदयपुर** में उपस्थित होकर अपने सुझावद प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते है। **क्षेत्रीय अधिकारी रा.रा.प्र.नि.म., उदयपुर**

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

उच्च माध्यमिक (विज्ञान, वाणिज्य ,कला वर्ग व वरिष्ठ उपाध्याय) परीक्षा 2025 की उत्तर-पुस्तिकाओं की संवीक्षा एवं उत्तर-पुस्तिकाओं की स्केन फोटो प्रति ऑनलाईन प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थियों के सूचनार्थ

उच्च माध्यमिक (विज्ञान, वाणिज्य, कला वर्ग व वरिष्ठ उपाध्याय) परीक्षा 2025 का परिणाम दिनांक 22.05.2025 को घोषित किया गया है। संवीक्षा एवं उत्तर-पुस्तिका की स्केन फोटो प्रति प्राप्त करने हेतु बिना विलम्ब शुल्क दिनांक 29.05.2025 एवं विलम्ब शुल्क सहित दिनांक 01.06.2025 तक ई-मित्र पर अथवा स्वंय के स्तर पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। विस्तृत जानकारी, नियम, निर्देश, शर्तें व आवेदन पत्र प्रारुप/प्रक्रिया आदि बोर्ड वेबसाईट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर एवं दिनांक 22.05.2025 को अपलोड की गई विज्ञप्ति में देखे।

सचिव

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

जोधपुर – 342005
शैक्षणिक अनुभाग

पीएच.डी. (Ph.D) पाठ्यक्रम – सत्र: जुलाई 2025

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर पीएच.डी. (Ph.D) पाठ्यक्रम-सत्रः जुलाई 2025 के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करता हैं।

आवेदनो के ऑनलाईन पंजीकरण की अवधि

	प्रारम्भ दिनांक	अन्तिम दिनांक
पीएच.डी. (Ph.D)	20 मई 2025	18 जून 2025

महत्त्वपूर्ण सूचनाः अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट www.aiimsjodhpur.edu.in देखें। किसी भी प्रकार के संशोधन / शुद्धिपत्र आदि सिर्फ संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे अतः आवेदक नियमित रूप से संस्थान की वेबसाइट का अवलोकन करते रहे।

डीन (शैक्षणिक)